कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

क./उद्यान/न.नि./2025/190 **रूचि की अभिव्यक्ति** भिलाई,दिनांक 19/5/2025

रूचि की अभिव्यक्ति के तहत नगर पालिक निगम, भिलाई में विकसित उद्यानों को 03 वर्षो के लिए रखरखाव एवं संचालन/संधारण कराये जाने हेतु पंजीकृत एजेंसी, इच्छुक व्यक्ति/प्राईवेट पार्टनर्स/समूह/एन.जी.ओ./फूल विकेता जो (EOI) में उल्लेखित शर्तो के अंतर्गत ऑफर दिनांक 09-6-25 को सायं 5:30 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में वित्तीय ऑफर आमंत्रित किया जाता है। इस कार्य के लिए धरोहर राशि रू. 15,000.00 मात्र की किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का कार्यपालन अभियंता (उद्यान) नगर पालिक निगम, भिलाई के संयुक्त नाम पर FDR तथा DD रू. 1000.00 मात्र का एवं पेनकार्ड की छायाप्रति, पी.डब्लू.डी/संस्था का पंजीयन एवं अन्य समस्त दस्तावेज स्वहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र लिफाफा "अ" में, ऑफर दरे लिफाफा "ब" में एवं लिफाफा "स" में दोनो "अ" एवं "ब" लिफाफा डालकर कार्य का नाम, प्रेषक का नाम सहित कार्यपालन अभियंता, (उद्यान विभाग, मुख्य कार्यालय सुपेला) नगर पालिक निगम, भिलाई पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना होगा, अन्य माध्यम मान्य नहीं होगा। ऑफर दिनांक 10.6.25 को प्रातः 11:00 बजे खोली जावेगी। अन्य जानकारी नियम एवं शर्ते नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाईट **www.bhilainagarnigam.com** व संचनालय की वेबसाईट **www.uad.cg.gov.in** एवं चीप की वेबसाईट **eproc.cgstate.gov.in** से देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार का संशोधन/सूचना की जानकारी उपरोक्त वेबसाईट में प्रदर्शित की जावेगी।

टीपः– निविदाकर्ता को लिफाफा के उपर उद्यान का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है।
(उद्यानो की सूची में उल्लेखित अनुसार)

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

उद्यानों के रखरखाव के माध्यम से स्वयं के रोजगार का सुनहरा अवसर

नगर पालिक निगम, भिलाई में विकसित उद्यानों को 3 वर्षों के लिए (नियम शर्तें लागू) रखरखाव के साथ स्वयं के रोजगार/व्यवसाय करने का एक सुनहरा मौका नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा निगम क्षेत्र में निवासरत् आम नागरिकों, महिला स्व–सहायता समूहों, फूल विक्रेताओं, शासकीय–अर्द्धशासकीय संस्थानों को प्रदान करना चाहती है (जिसमें महिला स्व–सहायता समूह को प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी)। जिसके अंतर्गत इच्छुक आवेदक उद्यान में (अन्दर या बाहर जैसा भी निगम द्वारा आदेशित) स्वयं के व्यय से निगम द्वारा जारी नक्शा अनुसार 8 फुट X 10 फुट आकार के लोहे की गुमटी अस्थायी स्थापित कर प्रतिबंधित व्यवसाय को छोड़ अपना व्यवसाय कर सकते है। साथ ही नियमानुसार प्रतिबंधित विज्ञापन छोड़कर गुमटी के ऊपर ग्लोसाइन बोर्ड लगाकर विज्ञापन से लाभ कमा सकते हैं। इस कार्य के लिये निगम में पूर्व विकसित उद्यानों (संलग्न सूची अनुसार) का रख–रखाव, प्रतिदिन पानी, सिंचाई, जंगली झाड़ियों, खरपतवार को निकालने, साफ–सफाई एवं छोटे प्रकार के टूट फूट का मरम्मत का कार्य चौंकीदारी, खेलकूद सामग्री का मरम्मत निःशुल्क करना होगा। इस हेतु निगम पृथक से कोई भुगतान नहीं करेगी। इसके आवेदन के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित किया गया है:–

1. दिनांक 9/6/25 ...... को 5:30 बजे तक लिखित प्रस्ताव स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से दर आमंत्रण किया जाता है। विस्तृत नियम–शर्ते एवं उद्यानों की सूची कार्यालय, उद्यान से प्राप्त किया जा सकता है अथवा कार्यालय नगर पालिक निगम की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com व संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं चीप की वेबसाईट eproc.cgstate.gov.in में देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।
2. दरदाता को तीन लिफाफा पद्वति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा **'अ'** में निर्धारित अमानत राशि रू. 10,000.00 का एजेंसी एवं कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई के संयुक्त नाम से एफ.डी.आर. (किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक) एवं राशि रू. 1000.00 मात्र का किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का डी.डी. आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से हो तथा टेक्निकल बीड (आवेदक का रजिस्ट्रेशन, शपथ पत्र, व्यक्ति का पहचान पत्र व वर्तमान निवास पता संबंधी दस्तवेज, पेनकार्ड (निजी व्यक्ति के लिये अनिवार्य नहीं) एवं हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी का अधिकार पत्र। लिफाफा **'ब'** में वित्तीय बिड (दर) तथा लिफाफा अ, ब को एक बड़ा लिफाफा **'स'** में भरकर प्रस्तुत करना होगा। सभी लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दों में कार्य एवं उद्यान का नाम एवं अ, ब, स, का उल्लेख होगा। अमानत राशि में शासन द्वारा छूट प्राप्त का नियम लागू रहेगा।
3. प्रस्ताव स्वीकृत की सूचना पश्चात् 7 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की स्थिति में कार्यादेश के पश्चात 1 सप्ताह के अंदर संचालन, सधारण एवं रखरखाव का कार्य प्रारंभ करना होगा।
4. ऑफर दाताओं से अपेक्षा की जाती है, कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधित उद्यान का स्थल निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेवें।

5. गुमटी हेतु विद्युत व्यवस्था एवं विद्युत देयक भुगतान एजेंसी (दरदाता) को करना होगा। निगम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। उद्यान का ही विद्युत देयक निगम भुगतान करेगा।

6. उद्यान का रखरखाव कार्य लगातार 3 वर्षों के लिए आमंत्रित है। प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जावेगा, तत्पश्चात सफलता पूर्वक कार्य संपादन करने पर क्रमशः अधिकतम दो बार एक–एक वर्ष के लिए पुनः अनुबंध कर नवीनीकरण किया जा सकेगा। अनुबंध नवीनीकरण करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित होगा।

7. उद्यान अनुबंधकर्ता को देखरेख एवं रखरखाव के लिये सौंपा जाएगा। अतः अनुबंध अवधि में उद्यान एवं उद्यान में स्थापित सम्पत्ति की हानि हेतु क्षतिपूर्ति अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा वहन की जावेगी तथा इस आशय का शपथ पत्र निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध के समय देना होगा।

8. उद्यान में प्रवेश सभी के लिये निःशुल्क प्रवेश रहेगा। समय निर्धारण नगर पालिक निगम भिलाई करेगा।

9. अनुबंध अवधि के दौरान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकायों तथा नगर पालिक निगम द्वारा प्रचलित एवं समय–समय पर लागू की जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पों का पालना करना होगा।

10. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा किया गया उद्यानों में व्यय किसी भी स्थिति में आधिप्तय के अधिकार के आधार के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा। आम गुमटी एवं उसमें लगाये गये अनुशांगिक सामग्रियां वापसी योग्य होगा।

11. श्रम कानूनों का पूर्णतः पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा तथा उनके श्रमिकों, कर्मकारों व कर्मचारियों के प्रति निगम की कोई जवाबदारी व दायित्व नहीं होगा। लेबर एक्ट श्रम कानून का पालन व जवाबदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी। लगाये गये श्रमिकों का भुगतान शासन के नियमों के अंतर्गत कम से कम न्यूनतम श्रमिक दर अनुसार करना होगा।

12. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा नगर निगम विज्ञापन नीति एवं शर्तो के अनुसार विज्ञापन का प्रदर्शन किया जा सकेगा तथा गुमटी के ऊपर ग्लोसाइन बोर्ड लगाकर विज्ञापन किसी भी एजेंसी को अनुबंधित समय सीमा के अंदर दे सकेगा, जिसकी सूचना नगर पालिक निगम को अनिवार्य रूप से देना होगा। शासन द्वारा प्रतिबंधित विज्ञापन का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। विज्ञापन में अश्लील स्लोगन न हो व न ही किसी भी समाज व संस्था पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता हो, न ही किसी को ठेस पहुँचाता हो, न ही किसी राजनितिक दल का विज्ञापन प्रदर्शित करता हो और न ही आपत्तिजनक हो। अन्यथा कानूनी कार्यवाही के लिये एजेंसी स्वयं जवाबदार होगा।

13. कार्य पर लगाये गये पारिवारिक सदस्य/श्रमिको का पहचान पत्र अनुबंधकर्ता एजेंसी को देना होगा। अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा रखे गये कर्मचारियों के कार्य समय के दौरान मृत्यु/दुर्घटना के लिए अनुबंधकर्ता एजेंसी जवाबदार होगा।

14. उद्यान का नवीनतम फोटोग्राफ प्रत्येक माह उद्यान विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिससे उद्यान की स्थिति का आंकलन कर अनुबंध निरंतरता पर उचित निर्णय लिया जा सके।

15. प्रभारी अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशो का पालन करना होगा। उद्यानों के निरीक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर उद्यानों का निरीक्षण किया जा सकेगा व निरीक्षण के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा।

16. उच्च अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उद्यान में श्रमिक एवं उद्यान का कार्य संतोष जनक नहीं होने व नियम शर्तो का उल्लघंन पाये जाने पर दण्ड स्वरूप प्रत्येक चूक पर अधिकतम् राशि रू. 1000.00 रू की दण्ड आरोपित की जा सकेगी।

17. पौधो को सुरक्षित रखने एवं आवश्यकता अनुरूप सिंचाई करना, पौधो को जीवित अवस्था में रखने का दायित्व अनुबंधकर्ता एजेंसी का होगा। उद्यान की साफ सफाई एवं उद्यान को व्यवस्थित रखना होगा। उद्यान का रखरखाव कार्य यदि संतोष जनक या सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार नहीं पाये जाने पर अथवा निमम शर्तों के उल्लंघन पर एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

18. उद्यान में कचरा निपटान के लिये खाद निर्माण हेतु पीट का निर्माण करना होगा। गुमटी के आसपास सुखा–गीला कचरा के लिये निर्धारित अनुसार व्यवस्था करना होगा।

19. उद्यान के आकार का 10 प्रतिशत हिस्से का उपयोग नर्सरी के उपयोग में कर सकेगा। यह ध्यान रखा जायेगा की उद्यान में भ्रमण करने वाले लोगो को वहीं पर किसी भी प्रकार का अवरोध न हों।

20. अनुबंधकर्ता एजेंसी के द्वारा कार्य के संबंध में कोई भी दावा व वाद आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को स्वीकार्य नहीं होगा। न्यायालयीन वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र दुर्ग रहेगा।

21. उद्यान में किसी भी प्रकार के विवाद या आपत्ति की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

कार्यपालन अभियंता **नगर पालिक निगम** **भिलाई**	**उद्यान अधिकारी** **नगर पालिक निगम** **भिलाई**	**सहायक अभियंता** **नगर पालिक निगम** **भिलाई**

अनुबंध दिनांक–

एजेंसी / अनुबंधकर्ता का हस्ताक्षर
नाम / पता / सील

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

निगम क्षेत्रांतर्गत स्थित उद्यानों की सूची

कं.	नया वार्ड	जोन कमांक	स्थल का नाम	क्षेत्रफल
1	1	जोन कं. 01	खम्हरिया जुनवानी में उद्यान (अमृत मिशन)	4050m2
2	3	जोन कं. 01	नेहरू नगर पश्चिम समता उद्यान	854m2
3	3	जोन कं. 01	वार्ड क्र 03 नेहरू नगर पश्चिम सी.एस.ई.बी. आफिस	2000m2
4	4	जोन कं. 01	उत्कल वृदांवन उद्यान	1508m2
5	4	जोन कं. 01	नेहरू नगर पश्चिम शिवाजी पार्क उद्यान।	2356m2
6	4	जोन कं. 01	नेहरू नगर पश्चिम गांधी पार्क उद्यान।	2100m2
7	4	जोन कं. 01	नेहरू नगर पश्चिम मलेनियम पार्क उद्यान।	2160m2
8	4	जोन कं. 01	नेहरू नगर पश्चिम महाराणा प्रताप उद्यान।	2130m2
9	4	जोन कं. 01	नेहरू नगर पश्यिम अशोक उद्यान	4000m2
10	4	जोन कं. 01	नेहरू नगर पश्चिम एकता पार्क	1645m2
11	4	जोन कं. 01	नेहरू नगर पूर्व स्टाफ क्वाटर उद्यान	2460m2
12	4	जोन कं. 01	नेहरू नगर पूर्व मधुकामनी बाल उद्यान (अमृत मिशन)	5264m2
13	4	जोन कं. 01	नेहरू नगर ब्लाक 81 ,82 के मध्य उद्यान	2400m2
14	4	जोन कं. 01	बख्शी उद्यान नेहरू नगर पूर्व उद्यान	3360m2
15	4	जोन कं. 01	प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम कृष्णा उद्यान	4200m2
16	5	जोन कं. 01	नेहरू नगर श्यामाप्रसाद मुखजी उद्यान	2262m2
17	6	जोन कं. 01	प्रियदर्शनी परिसर पूर्व बाल उद्यान	5508m2
18	6	जोन कं. 01	प्रियदर्शनी परिसर पूर्व चौपाटी बाल उद्यान	5115m2
19	6	जोन कं. 01	प्रियदर्शनी परि.पू. प्रत्रकार कालोनी उद्यान	2500m2
20	6	जोन कं. 01	प्रियदर्शिनी पूर्व ब्लॉक 5/15 के सामने उद्यान	3000m2
21	7	जोन कं. 01	मैत्री विहार उद्यान (अमृत मिशन)	5000m2
22	7	जोन कं. 01	आनंद विहार उद्यान	1950m2
23	7	जोन कं. 01	अयप्पा नगर कोहका स्थित बाल उद्यान	3200m2
24	8	जोन कं. 01	न्यू कृष्णा नगर उद्यान	1435m2
25	12	जोन कं. 01	हाउसिंग बोर्ड कालोनी उद्यान कोहका	2400m2
26	14	जोन कं. 02	शांति नगर बाल उद्यान	1248m2
27	22	जोन कं. 02	कृष्णकुंज उद्यान	
28	25	जोन कं. 02	हा.बोर्ड एम.आई.जी. 2348 के समीप स्थित उद्यान	3300m2
29	31	जोन कं. 03	मयूर उद्यान	3395m2
30	31	जोन कं. 03	जयंती उद्यान बैकुठधाम	10585m2
31	36	जोन कं. 03	टाटा लाईन मे उद्यान (अमृत मिशन)	875m2
32	40	जोन कं. 04	मुक्तिधाम छावनी उद्यान	8000m2
33	42	जोन कं. 04	शिव मंदिर गौतम नगर उद्यान	2400m2
34	43	जोन कं. 04	बापू नगर गार्डन (अमृत मिशन)	3900m2

35	45	जोन क्रं. 04	कृष्णा पार्क खुर्सीपार	1500m2
36	45	जोन क्रं. 04	राधाकृष्ण मंदिर	1500m2
37	48	जोन क्रं. 04	मिलावट पारा उद्यान	3500m2
38	50	जोन क्रं. 04	बालकनाथ उद्यान	1200m2
39	51	जोन क्रं. 04	चन्द्रमा चौंक पिंक गार्डन	1200m2
40	51	जोन क्रं. 04	पंडित दीनदयान पुरम आवासीय योजना में शिव मंदिर गार्डन	1500m2
41	51	जोन क्रं. 04	एच.ए.सी.एल. कालोनी खुर्सीपार उद्यान	2000m2
42	69	जोन क्रं. 05	(सी 3 मैदान गोल मार्केट) हास्पिटल सेक्टर सी ब्लाक उद्यान	2400m2
43	69	जोन क्रं. 05	हुड़को एम.आई.जी.–2/316 के सामने बाल उद्यान	2400m2
44	69	जोन क्रं. 05	एच.आई.जी–I 100 हैप्पी गार्डन	1118m2
45	69	जोन क्रं. 05	हास्पिटल सेक्टर सड़क 09 एवं 10 के मध्य	2400m2
46	70	जोन क्रं. 05	हुड़को भारत माता बाल उद्यान	2250m2
47	70	जोन क्रं. 05	हुडको एम.आई.जी.199 के सामने स्थित परी उद्यान	2625m2
48	70	जोन क्रं. 05	हुड़को नेशनल पार्क उद्यान	2000m2
49	70	जोन क्रं. 05	एम.आई.जी–I 70 के पास उद्यान	1000m2
50	70	जोन क्रं. 05	एम.आई.जी–I 265 के पास उद्यान (अमृत मिशन)	2800m2
51	70	जोन क्रं. 05	एम.आई.जी–I 335/336 के पास उद्यान	7500m2
52	70	जोन क्रं. 05	आनंद पार्क हुड़को	400m2

उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई

//प्रारूप//

(अ) उद्यान का नाम :–...

....।

(ब) उद्यान सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में एजेंसी द्वारा निःशुल्क किये जाने वाले कार्य :–

1...

2...

3...

4...

5...

(स) अन्य कार्य :–

1...

2...

3...

4...

5...

EE

उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई

टीप :- लेटरपेड के साथ संलग्न प्रारूप।